



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 11 मई, 2020

बैशाख 21, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 436/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(110)-2020

लखनऊ, 11 मई, 2020

अधिसूचना

प०आ०-112

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा अधिसूचित करती हैं कि उक्त अधिनियम की उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध, वह व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, अथवा निम्नलिखित व्यक्तियों के वर्ग, से भिन्न व्यक्तियों के वर्ग, पर, लागू नहीं होंगे, अर्थात् :-

(क) व्यक्ति;

(ख) सभी प्रकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;

(ग) प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और

(घ) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता।

2- यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

आलोक सिन्हा,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 436/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(110)-2020, dated May 11, 2020 :

No. 436/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(110)-2020

Dated Lucknow, May 11, 2020

IN exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of section 25 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of the said Act shall not apply to a person who is not a citizen of India or to a class of persons other than the following class of persons, namely :-

- (a) Individual;
- (b) Authorised signatory of all types;
- (c) Managing and Authorised partner; and
- (d) Karta of an Hindu undivided family.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 1st day of April, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 62 राजपत्र-2020-(120)-599 प्रतियां (क०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 12 सा० राज्य कर-2020-(121)-3500 प्रतियां (क०/ऑफसेट)।